निगरानी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1/2017/ 223/76 बाबूलाल / सरकार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
पेशी	2017/00001 श्री दिनेश कुमार श्री GA - I 2 फीस	3/ 9.1.17
17/9/18	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उत्तरदाता उप. अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु समय चाहते है। मोहलत जाता है। आइंदा बहस करें। पत्रावली वास्ते पेश करने संशोधित अपील व अन्य पापेर्स अप्रार्थी 702 की तलबी बाबत) दिनांक 6/11/18 को पेश हो।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
6/11/18	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट उपस्थित नहीं। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रूक-रूक कर आवाजे दिलाई गई किन्तु उपस्थित नहीं हुए अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील जरिये नम्बर में दर्ज हो।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

नम्बर ... हकाम जो ... की तामील ... हुए

31
9.1.17
दिनेश कुमार एड०

अपील पेश की,
वार कॉल
रिपोर्ट हेतु
पेश हो
राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर
09.01.17

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

अपील टी.ए. संख्या....01.../2017 जिला अजमेर

2017/00001

----

1. बाबूलाल पुत्र रामजीवण (फौत)
2. श्रीमति रतनी देवी पुत्री रामजीवण
3. श्रीमती मूलीदेवी पुत्री रामजीवण
4. श्रीमती शोभादेवी पुत्री रामजीवण

जाति दमामी, निवासी सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

-- अपीलार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।
2. देवी पुत्र छोगा जाति मीणा निवासी सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

-- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं आज्ञप्ति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 5.10.2009 वाद संख्या 177/2003 में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

1. यह कि संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थीगण के पिता रामजीवण वल्द बालाबक्श द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसे एतदपश्चात् "अधिनियम 1955 कहा गया" के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रोही सांकरिया तहसील केकडी में विवादित भूमि खसरा नम्बर 673 नया नम्बर 680 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि मूलतः मांगू

Scanned with CamScanner